



पत्रांक ३११६ /१३५/एक/वि०स०प्र०/२०१७-१८

समस्त परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०।

दूरभाष— २२८६७०९
फैक्स—०५२२—२२८६७११
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.
नव घेतना केन्द्र, १० अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
www.sudaup.org
e mail-sudauplko@yahoo.com
दिनांक १५ नवम्बर, २०१७
ई-मेल / महत्वपूर्ण

विषय मा० संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अभिकरण को प्राप्त संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक १६५४/६९-१-२०१७-१४(२३२)/२०१५ दिनांक ०८.११.२०१७ एवं संलग्नक पत्र जो कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ५५५/९०-सं०शि०प०का०/१७-०२(सं०शि०)/२०१५ दिनांक १८.१०.२०१७ के द्वारा निर्गत है का संदर्भ ग्रहण करें।

प्रश्नगत पत्र के माध्यम से मा० संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का पालन कड़ाई से किया जाना निर्देशित है। शासन से प्राप्त इंगित पत्र एवं मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निर्गत दिशा-निर्देश की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि

१. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या—1654 / 69—1—2017—14(232) / 2015

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

6632/cls
08/11/17

सेवा में,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०८ नवम्बर, 2017

३००५८
८/१११७
६.३०९१) विषय : मा० संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति
शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—555/90—
सं०शि०प०का० / 17—02(सं०शि०) / 2015 दिनांक 18.10.2017 की छायाप्रति प्रेषित करते
हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र एवं उसमें उल्लिखित पत्रों एवं
शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन के
अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

~०० (८४)

भवदीय,

मनिराम सिंह

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यालयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक १८ अक्टूबर, २०१७

विषय:- मा० संसद- सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं

- 1- सं०-२५८६/७९-सं-१-२००७-६६सं/१९८८, दि० १४ नवम्बर, २००७
- 2- सं०-२७३/७९-सं-१-२००८-१०सं/२००८, दि० ०६ फरवरी, २००८
- 3- सं०-१४८३/७९-सं-१-२००८-६६सं/१९८८ दि० ३० मई, २००८
- 4- सं०-२३८३/७९-सं-१-२००८-१०९सं/२००८ दि० २१ अक्टूबर, २००८
- 5- सं०-२८५/७९-सं-१-२००९-२४सं/२००९, दि० ३१ मार्च, २००९
- 6- सं०-७६२/७९-सं-१-२००९-६६-सं/१९८८, दि० २८ मई, २००९
- 7- सं०-६४३/७९-सं-१-२००९-२८सं/२००९, दि० १८ जून, २००९
- 8- सं०-५४५/९०-सं-१-२०११-३८सं/२०११, दि० ११ मई, २०११
- 9- सं०-६०२/९०-सं-१-२०११-४३सं/२०११, दि० २५ मई, २०११
- 10- सं०-११४७/९०-सं-१-२०१२-६६सं/१९८८, दि० १२ अक्टूबर, २०१२
- 11- सं०-६०८/९०-सं-१-२०१३-६६सं/१९८८, दि० १० मई, २०१३
- 12- सं०-१२२३/९०-सं-१-२०१३-१४सं/२०१३ दि० २५ सितम्बर, २०१३
- 13- सं०-१५४१/९०-सं-१-२०१३-६६सं/२०१३, दि० ३१ दिसम्बर, २०१३
- 14- सं०-११७३/९०-सं-१-२०१४-७०सं/८४ दि० २५ अगस्त, २०१४
- 15- सं०-२१४/९०-सं०शि०प०का०/२०१५-०२सं०शि०/२०१५, दि० १५ सितम्बर, २०१५
- 16- सं०-८३१/९०-सं०शि०प०का०/२०१६-०२सं०शि०/२०१५, दि० २८ अक्टूबर १६
- 17-सं०-४७८/९०-सं०शि०प०का०/२०१७-०२सं०शि०/२०१५, दि० १९ सितम्बर, १७

सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में जारी किये गये पौर्णांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा- निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा० संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

2- इस सम्बन्ध में विशेष रूप से

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अर्धशा० पत्र संख्या-११०१३/४/२०११-स्था (क)दिनांक ०८ दिसम्बर, २०११ सपठित समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक ०१ दिसम्बर, २०११, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें प्रशासन तथा सांसद एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य-व्यवहार में समुचित आचरण का अनुपालन करने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश उल्लिखित हैं। सूच्य है कि उक्त अर्द्धशा० पत्र मुख्य सचिव के पत्र संख्या-६६५/९०सं-१-२१२-७०सं/१९८४ दिनांक २५ जून, २०१२ के द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

क्रमांक: २/-

मैरिट
27.10.17

(3) सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-796/तीन-2013-72(1)/91 दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत संशोधित सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारण्ट औफ प्रिसीडेंस) के अनुसार मा० सांसदों व मा० विधायकों को क्रमशः कोटिक्रम 22 तथा २२-अ में रखा गया है तथा राज्य के मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति, आयुक्त, सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि समस्त अधिकारी मा० विधायकों से कोटिक्रम में नोचे हैं।

(4) सभी सरकारी अधिकारियों से पुनः यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति-स्वीकार (Acknowledege) की जाय और शीघ्रतापूर्वक सम्बन्धित विचारोपरान्त उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाय। अधिकारी मा० जनप्रतिनिधि के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेंगे। साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। यदि संसद/ राज्य विधान-मण्डल के माननीय सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के रूप में जनहित से जुड़े कार्यों के सम्बन्ध में उनसे भेंट करते हैं तो उन्हें यथोचित सम्मान दें, अपनी सीट से खड़े होकर उनका स्वागत करें तथा उनसे यथास्थिति जलपान/ जल ग्रहण हेतु आग्रह करेंगे। उनसे वार्ता करते समय अधिकारी यदि उनके अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो अधिकारी द्वारा अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से मा० सदस्य को विनाशतापूर्वक अवगत करा देना चाहिए। अधिकारियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वह राज्य विधान-मण्डल के माननीय सदस्यों को खड़े होकर सम्मानपूर्वक विदा करेंगे।

(5) सार्वजनिक कार्यक्रमों के निमंत्रण/ आमंत्रण पत्र/आयोजन में पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारण्ट औफ प्रिसीडेंस) के कोटिक्रम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन न किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/21/93-का-1-2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शासन द्वारा कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि से किए जा रहे कार्यों का कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोह अथवा विकास कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत क्रृण की धनराशि का वितरण समारोह अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों अथवा ऐसे अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हसियत से भाग नहीं लेंगे। इस शासनादेश द्वारा पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2001 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुनः प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट औफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्राप्तिकारी रखते हैं, उनके साथ उपर्युक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य- प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन ३० प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली १९५६ के नियम-३ (२) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-३.- सम्बन्धी का प्रस्तर - (२) " प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। "

अतः शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वांच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
25 अगस्त
(राजीव कुमार)


मुख्य सचिव।

संख्या- ५५५०/१०-स०शि०प०का०/८७२(स०शि०)/१५तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 6- ३० प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- गोर्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।